न्यायालय विशेष न्यायाधीश (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधि0 बाराबंकी

परिवाद संख्या–204/2019

U.P.B.B.O. 1004718 2019

श्रीमती आशा पत्नी सियाराम कोरी, निवासिनी ग्राम धुनौली, थाना रामसनेही घाट, जिला बाराबंकी– – – – – – – – – – – – – –परिवादिनी।

प्रति

1– शेष नरायन सिंह पुत्र रामहंस सिंह
2– शत्रोहन पुत्र झग्गर
3– झग्गर पुत्र सालिक
4– जगमोहन पुत्र झग्गर
5– उर्मिला पत्नी झग्गर
6– अनीस पुत्र झग्गर
7– रेशमा पत्नी शत्रोहन
8– लीलावती पत्नी जगमोहन निवासी ग्राम धुनौली, थाना रामसनेहीघाट, जिला बाराबंकी – –– – – – –– –– – – – – विपक्षीगण।

परिवाद अन्तर्गत धारा–147, 323, 504, 506, 354ख
भा0दं0सं0 एवं धारा–3 (1) द, 3 (1) ध, 3 (2) (V)एस.सी एस टी एक्ट,
थाना–रामसनेहीघाट,
जिला–बाराबंकी।,

01.10.2020

परिवादिनी की ओर से विपक्षीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धरा–156 (3) दं0प्र0सं0 इस आशय से प्रस्तुत किया गया था कि वह अनुसूचित जाति कोरी है। दिनॉक–07.10.2018 को करीब दस बजे दिन वह अपने परिवार के साथ घर में थी तभी गॉव के विपक्षीगण एक राय होकर लाठी डण्डो व बॉके से लैस होकर उसके घर पर आये और उसके पति को जातिसूचक गन्दी गन्दी गालियॉ देते हुए मारने दौडे तभी उसके पति जान बचाने के लए घर में घुस गये तो सभी विपक्षी उसके घर में घुसकर उसके पति को पकडकर जमीन पर पटक दिया और लात घूॅसा डण्डों से मारने लगे। शत्रोहन बॉके से उसके पति की हत्या के प्रयास में थे। जब वह बचाने आयी तो विपक्षीगण ने उसे लात घूॅसों से मारा पीटा और बेइज्जत करने के लिए कपड़े फाड़ दिये तथा अश्लील हरकतें की। शोर गुल पर गॉव तमाम लोग आ गये तब उसकी जान बची।

परिवादिनी के प्रार्थनापत्र में उल्लेखित अभिकथनों के आधार पर न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण/विपक्षीगण के विरूद्ध परिवाद दर्ज किया गया तथा आवेदिका के बयान धारा–200 दं00सं0 के अन्तर्गत दर्ज किये गये तथा उसकी ओर से परीक्षित कराये गये साक्षी पी0डब्ल्यू–1 हरिप्रताप सिंह तथा पी0डब्ल्यू–2 चन्द्रभान के बयान धारा–202 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत अभिलिखित

किये गये।

इस सम्बन्ध में परिवादिनी ने स्वयं को धारा–200 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत कहा है कि दिनॉक–07.10.2018 को करीब दस बजे दिन में परिवार के साथ घर पर थी तभी गॉव के विपक्षीगण एक राय होकर लाठी डण्डो व बॉके से लैस होकर उसके घर पर आये और उसके पति को जातिसूचक गन्दी गन्दी गालियॉ देते हुए मारने दौडे तभी उसके पति जान बचाने के लए घर में घुस गये तो सभी विपक्षी उसके घर में घुसकर उसके पति को पकडकर जमीन पर पटक दिया और लात घूॅसा डण्डों से मारने लगे। शत्रोहन सिंह से नाली को लेकर विवाद है। अभियुक्तगण बॉका कुल्हाड़ी और कट्टा व डण्डा लिए थे। बॉका शत्रोहन लिए थे, कुल्हाडी जगमोहन लिए थे शेष लोग कट्टा लिए थे और उसके पति को मारने लगे। वह बचाने लगी तो उसे भी लात घूॅसों व डण्डों से मारा पीटा तथा उसके कपड़े फाड़ कर बेइज्जती करने के लिए तैयार हो गये। जब वह चिल्लाई तो पड़ोस के बहुत से लोग आ गये तब उसकी जान बची।

पी0डब्ल्यू–1 हरिप्रताप सिंह ने साक्ष्य दिय है कि दनिॉक–7.10.2018 सको दिन में दस बजे वह अपने घर पर था तभी शोर गुल की आवाज सुनकर आशा के घर पर पहुॅचा तो देखा कि विपक्षीगण आशा के पति को मार रहे थे और कह रहे थे कि कोरी साले तेरा दिमाग खराब है मॉ बहन की गालियॉ दी थी। आशा जब बचाने आई तो उसे मारा पीटा तथा बेइज्जती करने के लिए कपड़े फाड़ दिये थे।

इसी प्रकार चन्द्रभान पी0डब्ल्यू–2 ने साक्ष्य दिया है कि उसका घर आशादेवी के ार के सामने है। घटना करीब एक साल से उपर की है वह अपने घर पर था। हल्ला सुनकर वह आशा देवी के घर गया तो देखा कि गाूव के विपक्षीगण आशा के पति को गन्दी गन्दी जातिसूचक गालियॉ देते हुए मार पीट रहे थे। आशा देवी जब बचाने गई तो उसे भी मारा पीटा और बेइज्जती किया था। विपक्षीगण जान से मारने की धमकी देते हुए चले गये।

सुना। पत्रावली का परिशीलन किया।

पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत मामले के पीड़िता द्वारा अपने बयान अन्तर्गत धारा–200 दं0प्र0सं0 में यह कथन किया गया है कि दिनॉक–07.10.2018 को अपने परिवार के साथ घर में थी उसी समय विपक्षीगण एक राय होकर लाठी डण्डो व बॉके से लैस होकर उसके घर पर उसके पति को जातिसूचक गन्दी गन्दी गालियॉ देते हुए मारने लगे तभी उसके पति जान बचाने के लए घर में घुसे। सभी विपक्षीगण घर में घुसकर ति

को पकड़कर जमीन पर पटक कर लात घूँसों डण्डों से मारने लगे। शत्रोहन उसके पति की हत्या के प्रयास में थे। जब वह बचाने आयी तो विपक्षीगण ने उसे लात घूँसों से मारा पीटा और बेइज्जत करने के लिए कपड़े फाड़ दिये तथा अश्लील हरकतें की।

परिवादिनी के प्रार्थनापत्र में उल्लेखित अभिकथनों के आधार पर न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण/विपक्षीगण के विरूद्ध परिवाद दर्ज किया गया तथा आवेदिका के बयान धारा—200 दं00सं0 के अन्तर्गत दर्ज किये गये तथा पीड़िता एवं उसकी ओर से परीक्षित कराये गये साक्षियों की साक्ष्य एवं शपथ पत्र से घटना का पूर्णरूप से समर्थन होता है।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि परिवादिनी द्वारा अपने साथ हुई कथित घटना का समर्थन अपने बयान अन्तर्गत धारा—200 दं0प्र0सं0 के साथ—साथ शपथ पत्र के द्वारा घटना का पूर्णतया समर्थन किया है।

अतः परिवादिनी एवं उसकी ओर से प्रस्तुत किये गये साक्षियों के बयान अन्तर्गत अन्तर्गत धारा—200, एवं 202 दं0प्र0सं0 एवं शपथ पत्र के आधार पर विपक्षीगण को धारा—147,323,504,506,354ख भा0दं0सं0 एवं धारा—3 (1)(द), 3 (1) (ध), 3(2)(V) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अधीन आहूत कर उनका विचारण किया जाना न्याय संगत होगा।

आदेश

विपक्षीगण शेष नरायन सिंह पुत्र रामहंस सिंह, शत्रोहन पुत्र झग्गर झग्गर पुत्र सालिक, जगमोहन पुत्र झग्गर, उर्मिला पत्नी झग्गर, अनीस पुत्र झग्गर, रेशमा पत्नी शत्रोहन, लीलावती पत्नी जगमोहन को धारा—147, 323, 504, 506, 354ख भा0दं0सं0 एवं धारा—3 (1)(द), 3(1)(ध), 3(2)(V) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अधीन आहूत किया जाता है। तदनुसार अभियुक्तगण/विपक्षीगण के विरूद्ध समन जारी हो। परिवादिनी लिस्ट गवाहान दाखिल करे तथा पैरवी सात दिन के अन्दर हो।

पत्रावली वास्ते उपस्थिति अभियुक्तगण दिनॉक—28.10.2020 को पेश हो।

दि0—01.10.2020

(नित्यानन्द श्रीनेत)
विशेष न्यायाधीश,एस0सी0/एस0टी0अधि0/
अपर सत्र न्यायाधीश,
बाराबंकी।
जे0ओ.कोड नं0—यू0पी0—5976